

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 239/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/364

प्रार्थिनी

बनाम

विप्रार्थीगण

श्रीमति मुन्नीदेवी पत्नी ओमाराम
जाति पालीवाल निवासी बितुजा
तहसील पचपदरा व जिला
बालोतरा

1. मिश्रीमल पुत्र खुबचन्द जाति पालीवाल
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र दुदाराम
3. लालाराम पुत्र देवाराम
4. ओमाराम पुत्र राणाराम के वारिसान
- 4/1. सूजीदेवी बेव ओमाराम
- 4/2. उम्मेद पुत्र ओमाराम
- 4/3. कमलेश पुत्र ओमाराम जाति माली
निवासी बितुजा तहसील पचपदरा
5. दुदाराम पुत्र राणाराम
6. वजाराम पुत्र राणाराम
7. सुजाराम पुत्र राणाराम
8. पुखराज पुत्र सोनाराम जाति माली
निवासी बितुजा तहसील पचपदरा
9. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग
बालोतरा
10. ग्राम पंचायत जानियाना जरिए सरपंच
11. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा आसोतरा
12. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा पचपदरा
13. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-


1. श्री छत्रकरण भाटी अधिवक्ता प्रार्थिनी

2. विप्रार्थी एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 12.01.2026

1. संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थिनी की खातेदारी भूमि ग्राम होटलू पटवार हल्का बितुजा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 362/178 क्षेत्रफल 1.1736 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थिनी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थिनी की भूमि के सेढा सेढा विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थिनी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थिनी द्वारा ग्राम होटलू पटवार हल्का बितुजा तहसील पचपदरा की खेत


उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा


खसरा संख्या 362/178 क्षेत्रफल 1.1736 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थिनी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपरिथत नहीं होने के कारण विप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमने उभय पक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थिनी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थिनी की खातेदारी भूमि ग्राम होटलू पटवार हल्का बिदुजा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 362/178 क्षेत्रफल 1.1736 हैक्टेयर, भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थिनी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थिनी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थिनी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थिनी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थिनी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगडालू प्रवृत्ति का होने के कारण आये दिन प्रार्थिनी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते है। प्रार्थिनी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थिनी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थिनी की खातेदारी भूमि ग्राम होटलू पटवार हल्का बिदुजा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 362/178 क्षेत्रफल 1.1736 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम होटलू पटवार हल्का बिदुजा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 362/178 क्षेत्रफल 1.1736 हैक्टेयर, भूमि प्रार्थिनी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थिनी विवादित भूमि की रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है,जिसकी प्रार्थिनी प्रथम दृष्यता हकदार प्रतीत होती है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :-धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र,जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो

विप्रार्थी को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे)



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 11.0.2026 की अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुरारण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है, अतः हस्तगत प्रकरण में हग प्रार्थिनी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5. उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, कि प्रार्थिनी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थिनी का आवेदन आशिक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थिनी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पचपदरा/सहायक भू अभिलेख एवं पदेन सहायक भू प्रबंध अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम होटलू पटवार हल्का बितुजा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 362/178 क्षेत्रफल 1.1736 हेक्टेयर भूमि का रि-सेन्टलमेंट सर्वे के दौरान उभय-पक्षकारान की उपस्थिति में मौका कब्जा काश्त एवं रेकर्ड स्थिति को मध्यनजर रखते हुए विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए नियमानुसार पैमाईश कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करावे। पालना रिपोर्ट से अवगत करावे।



(अशोक कुमार) 2/01/2026
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 12/01/2026 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा